4/6 क्रमकोर्ट अध्याय

आवेदन पत्र, क्रमकोर्ट अध्याय में मुकदमे के साथ पेश हुई पार्टी का मुकदमा Restore में स्थापित हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थापित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर अन्तरकालीन दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय क्रमकोर्ट के पृष्ठ पर।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner